

महत्वपूर्ण/निर्वाचन तत्काल

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फ़ैक्स 225510

**E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com**

क्रमांक/लो.स./सामा.निर्वा./2019/729.

अशोकनगर, दिनांक 28/02/2019

—: आदेश :-

जब्त नगदी को मुक्त करने हेतु

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु आम आदमी तथा वास्तविक व्यक्ति को कैश जप्ती से होने वाली परेशानी से बचाने तथा तत्संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

क्रं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	श्री अजय कटेसरिया (I.A.S.) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर
2	श्री डी.के. चौरसिया पेंशन अधिकारी जिला अशोकनगर
3	श्री राकेश कुमार कोषालय अधिकारी जिला अशोकनगर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर समिति के संयोजक रहेंगे तथा तत्संबंधी रिकार्ड संधारित कर कार्यवाही संपादित करवायेंगे। समिति यह परीक्षण करेगी कि एफएसटी (FST), एसएसटी (SST) या पुलिस द्वारा जप्त कैश के संबंध में यदि कोई भी सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं की गयी है और जप्तशुदा राशि किसी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल या चुनाव प्रसार से संबंधित नहीं है तो समिति स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार नगदी की मुक्ति हेतु तत्काल कदम उठायेगी। कमेटी इस संबंध में एक बोलता हुआ आदेश पारित करेगी। यदि राशि 10 लाख से अधिक है तो जप्त नगदी की मुक्ति से पूर्व आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित किया जायेगा। सभी FST, SST के प्रमुख को पुलिस जप्ती के सभी प्रकरणों के बारे में कमेटी को सूचित करेंगे।

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील होगा।

(डॉ. मजू शर्मा)

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला अशोकनगर (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी 04 शिवपुरी-गुना संसदीय क्षेत्र शिवपुरी म0प्र0 ।
4. पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर की ओर सूचनार्थ ।
7. अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ ।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ ।
9. अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर (अजा), 033 चंदेरी एवं 034 मुंगावली की ओर सूचनार्थ ।
10. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/पिपरई/ईसागढ़/शाढौरा/नईसराय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
11. सहायक संचालक, जनसंपर्क अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ ।
12. स्टेनो-टू-कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ ।
13. संबंधित श्री ..... की ओर पालनार्थ ।



कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला अशोकनगर (म.प्र.)